न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 17/2016 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. रामस्वरूप
2. श्याम सिंह उर्फ श्यामस्वरूप

} पिस0 किशन सिंह अकवाम जाट निवासी ग्राम गहनोली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कुन्दन
2. जगमोहन
3. शिवचरन पुत्र घमण्डी
4. मान सिंह पुत्र घमण्डी
5. फत्ते सिंह पुत्र अमर सिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम गहनोली तह0 रूपवास, भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 03.05.2016 उनवानी रामस्वरूप बनाम कुन्दन मु0न0 57/2014

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रताप सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 11.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 03.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की ओर से रैस्पो0/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी, पक्षकारो को उनके एक ही पूर्वज नानिगा से प्राप्त हुई है, जिसका मौके पर बॅटवारा होकर मुताबिक सजरा तीन हिस्सों में प्रत्येक हिस्सेदार के हक में 23 बीघा 18 विस्वा रकवा आया। परन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के कब्जे व बॅटवारे में प्राप्त आराजी खसरा नम्बर 155, 176, 783 में से 02 बीघा 05 का इन्द्राज रैस्पो0/अप्रार्थीगण के नाम हो गया। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर रैस्पो0/अप्रार्थीगण विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, वय व मुन्तकिल करने पर आमदा हैं। यदि रैस्पो0/अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय नियम वियद्ध कानून विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल मंसूखी है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं विवादित आराजी का पूर्व में मनवट के आधार पर बॅटवारा हो चुका है एवं अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से ताहाल तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं हैं। परन्तु रैस्पो0 अपीलाधीन आदेश की आड में विवादित आराजी से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त छीनना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की ओर ना तो गौर किया है एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में उनकी विवेचना ही की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी का पूर्व में मनवट के आधार पर बॅटवारा हो गया था एवं विवादित आराजी रैस्पो0 को प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी में रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1984 पेज 492, आर0बी0जे0 2016 पेज 244, 1997 पेज 44, 46 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि ''जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अवलोकन से **यह प्रतीत होता है** कि पक्षकारो के पूर्वजो के मध्य, विवादित आराजी का विभाजन हो चुका था'' अधीनस्थ न्यायालय के इस प्रकार कयासो के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश को विधी अनुरूप नहीं माना जा सकता। अपीलाण्ट/वादी द्वारा विभाजन के तथ्य को नकारते हुए दावा प्रस्तुत करने की दशा में, रैस्पो0 द्वारा उक्त कथित विभाजन का स्त्रोत स्पष्ट करना अपरिहार्य है। अभिलेख के वर्तमान अंकन विधि अनुकूल हैं अथवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा के सन्दर्भ में संशोधन अपेक्षित है, यह तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त, वाद में तय होने वाला बिन्दु है। चूंकि पक्षकारो में विवादित आराजी के पैतृक होने बाबत् कोई विवाद नहीं है, अतः वादी का वाद प्रथम दृष्टया विचारणीय है एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट/प्रार्थी के पक्ष में है। दौरान वाद, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन न्यायोचित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 03.05.2016 अपास्त किये जाकर; रैस्पो0/अप्रार्थी को दौराने वाद, विवादित आराजी खसरा नम्बर 155, 176, 783 वाके ग्राम गहनोली को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official